रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-08022022-233232
SG-DL-E-08022022-233232

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76]	दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 8, 2022/माघ 19, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 427
No. 76]	DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 8, 2022/MAGHA 19, 1943	[N. C. T. D. No. 427

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 8 फरवरी, 2022

फा. सं. 10(47)/ईएनवी/2021/7253.—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना जिसे माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 का नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित गृह मंत्रालय भारत सरकार की दिनांक 10 सितम्बर, 1992 की अधिसूचना सं. का.आ. 667(अ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जारी करने का प्रस्ताव किया है, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है तथा एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप पर माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जायेगा।

इस प्रारूप अधिसूचना हेतु आपत्तियां या सुझाव प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, छठा तल, 'सी'–विंग, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली–110002 को संबोधित करते हुए किये जा सकते है अथवा ई–मेल आई.डी–senv@nic.in पर भेजे जा सकते हैं।

प्रारूप अधिसूचना

जबकि, दिल्ली वायु प्रदूषण की समस्या का सामना कर रही है तथा कुछ महीनों के दौरान कण प्रदूषण (पीएम2.5 और पीएम10) जैसे प्रदूषकों का स्तर परिवेशी वायु गुणवत्ता के लिए निर्धारित मानकों से बहुत अधिक हो गया है।

और जबकि परिवहन क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, विशेष रूप से पीएम 2.5 उत्सर्जन और वाहनों से होने वाला उत्सर्जन भी दिल्ली की हवा में 80 प्रतिशत तक नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का योगदान देता है।

और जबकि भारत में दिल्ली निजी मोटर चालित वाहनों का केंद्र है, दिल्ली में कुल 1.33 करोड़ वाहन पंजीकृत हैं और वाहनों की संख्या में वृद्धि इनसे होने वाले संभावित वायु प्रदूषण के स्थायी पर्यावरण प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी।

और जबकि राइड–हेलिंग सेवाओं के साथ–साथ डिलीवरी सेवा प्रदाताओं (जैसे, खाद्य वितरण, ई–कॉमर्स रसद प्रदाता, कोरियर) जैसे समूहकों ने अपने व्यवसायों में गति और विस्तार प्राप्त करते हुए दिल्ली में वाहनों के पैटर्न को बदल दिया है। और जबकि दिल्ली में चलने वाले समूहक और वितरण बेडे में वाहनों की संख्या का कोई औपचारिक अनुमान नहीं है, लेकिन रिपोर्ट, सड़क पर वाहनों की पर्याप्त संख्या और वायु प्रदूषण में योगदान करने की क्षमता को दर्शाती है।

और जबकि वायु प्रदूषण नागरिकों के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है तथा शोध दर्शातें है कि संवेदनशील जन समुदाय विशेष रूप से बच्चे गंभीर वायु प्रदूषण के कारण होने वाले रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील होते है, जिसमें श्वसन संबंधी समस्याएं और त्वचा संबंधी रोग शामिल है।

और जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अपनी दिनांक 03.02.2021 की एडवाइजरी द्वारा सलाह दी थी कि एनसीआर हेतु शून्य उत्सर्जन वाहनों के लिए एक जनादेश को अंतिम रूप दिया जाए और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ई–मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की नीति के हिस्से के रूप में शून्य उत्सर्जन वाहनों और ई–मोबिलिटी की ओर बड़े पैमाने पर बदलाव के लिए समयबद्ध तरीके से लागू किया जाये। आगे आयोग ने सलाह दी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की ऐसी कार्ययोजना में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित प्राथमिकता वाले क्षेत्र शामिल हो सकते हैं:

(i) प्राथमिकता में सार्वजनिक परिवहन का शीघ्र विद्युतीकरण, पैरा ट्रांजिट, फीडर सेवा, बड़े वितरण बेड़े तथा सरकार के स्वामित्व वाले उच्च माइलेज वाले वाहन शामिल हो सकते हैं।

(ii) उपरोक्त (i) में उल्लिखित वाहनों के संबंध में एक निश्चित प्रतिशत का आदेश दें।

(iii) मध्य कालिक और दीर्घकालिक योजना में इतने प्रतिशत की वृद्धि।

(iv) निजी वाहनों की तुलना में ऑटो–रिक्शा, बसों, फीडर सेवाओं, सरकारी वाहनों, डिलीवरी बेड़े आदि सहित सार्वजनिक वाहनों के लिए प्रतिशत का आदेश अधिक हो सकता है।

और जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के दिशा निर्देशों में अन्य बातों के साथ–साथ औद्योगिक प्रदूषण, ताप विद्युत संयंत्र वाले क्षेत्रों में, वाहन प्रदूषण, धूल नियंत्रण उपायों, डी.जी सेटों का उपयोग तथा वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए वर्क फ्रॉम होम सहित रोकथाम उपायों को तत्काल प्रभाव से सख्ती के साथ लागू किया जाना है ।

और जबकि, वाहनों से होने वाला प्रदूषण व्यापक वायु प्रदूषण का कारण बनेगा और विशेषकर जब वायु की गुणवत्ता बहुत खराब होगी तो उससे हानिकारक वायु प्रदूषक निकलेगें, तथा यह अनुभव किया गया है कि वायु की गुणवत्ता में वाहनों के प्रदूषण के योगदान को कम करने के लिए प्रदूषण रोधी वाहनों जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। .

और जबकि, पेट्रोल या डीजल से चलने वाली कारों की तुलना में बिजली से चलने वाले वाहन शून्य टेलपाइप उत्सर्जन के साथ निकास उत्सर्जन से हानिकारक वायु प्रदूषण को कम करने में सहायता करते हैं, तथा पर्यावरण के लिए उन्हें हरित, स्वच्छ और बेहतर बनाते हैं।

और जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा 7 अगस्त, 2020 को शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने और दिल्ली को भारत की इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी बनाने के उद्देश्य से की थी, जिसका उद्देश्य दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार करना तथा वाहनों के इस नए खंड के लिए एक संपूर्ण आपूर्ति–श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, और दिल्ली की वायु गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से हितकारी बनाने के व्यापक उद्देश्य को प्राप्त करना है। नीति का प्रयोजन 2024 तक सभी नए वाहनों 25 प्रतिशत बैटरी से चलने वाले वाहनों के रूप में तैनात करने का है।

और जबकि, दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2020 में यह प्रावधान है कि राइड हीलिंग सेवा प्रदाताओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया टैक्सियों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, वर्शेत उनका संचालन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग, द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अधीन होगा और आशा की जाती है कि नीति द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रोत्साहन राशि वितरण सेवा प्रदाताओं (जैसे, खाद्य वितरण, ई–कॉमर्स रसद प्रदाता, कूरियर) को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी; तथा एक समयबद्ध तरीके से बडे बदलाव का सुनिश्चित करेगी, नीति का उद्देश्य है कि सभी वितरण सेवा प्रदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि दिल्ली में संचालित अपने वाहनों के बेडे का 50 प्रतिशत 31 मार्च, 2023 तक तथा 100 प्रतिशत 31 मार्च, 2025 तक इलेक्ट्रिक वाहन में परिवर्तित करे।

अब, इसलिए, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 10.09.1992 की अधिसूचना संख्या एसओ 667(ई) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा व्यापक जनहित में निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते है:

परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि सभी समूहकों और वितरण सेवा प्रदाताओं (जैसे, खाद्य वितरण, ई–कॉमर्स रसद प्रदाता, कोरियर) निम्नलिखित अनुपात के अनुसार बेडे में शामिल नये वाहनों के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाएं।

इलेक्ट्रिक वाहनों का अभिग्रहण	3 महीनों के भीतर	31 मार्च, 2023 तक
दोपहिया वाहन	10 प्रतिशत	50 प्रतिशत
चौपहिया वाहन	5 प्रतिशत	25 प्रतिशत

सभी संबंधित उपरोक्त निर्देशों को अक्षरशः लागू करेंगे। उपरोक्त निर्देशों का कोई भी उल्लंघन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत दंडनीय होगा जिसमें पांच साल तक की कैद और/या जुर्माना शामिल है जिसे एक लाख रुपये तक बढाया जा सकता है अथवा दोनों हो सकते हैं। एक लाख या दोनों त्रैमासिक कार्रवाई रिपोर्ट पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार जीएनसीटीडी को ईमेल आईडीः senv@nic.in पर संलग्न प्रारूप में जमा करना आवश्यक है

उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजीव खिरवार, प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग

अनुलग्नकः

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा के दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन पर सभी समूहकों तथा वितरण सेवा प्रदाताओं (जैसे, खाद्य वितरण, ई–कॉमर्स रसद प्रदाता, कोरियर) द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के अभिग्रहण की अनिवार्यता हेतु त्रैमासिक रिपोर्ट के लिए सूचना प्रपत्र।

समूहक एवं वितरण वाहनों के बेडों की संख्या		समूहक एवं वितरण वाहनों के बेडे में अभिग्रहित इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या	
2 डब्ल्यू	4 डब्ल्यू	2 डब्ल्यू	4 डब्ल्यू

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

Delhi, the 8th February, 2022

F. No. 10 (47)/ENV/2021/ 7253.—The following draft notification which the Hon`ble Lieutenant Governor, Government of NCT of Delhi proposes to issue in exercise of the powers conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 667 (E) dated the 10th September, 1992 read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules,1986, is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration by the Hon`ble Lieutenant Governor, Government of NCT of Delhi on or after the expiry of sixty days from the date of publication of this Notification in the official Gazette.

Objections or suggestions to this draft Notification may be addressed to the Principal Secretary, Department of Environment, Government of NCT of Delhi, 6th Level, 'C' –Wing, Delhi Secretariat, I.P Estate, New Delhi-110002 or on e-mail at senv@nic.in.

DRAFT NOTIFICATION

Whereas, Delhi faces air pollution concerns and level of pollutants like Particulate Matter Concentration ($PM_{2.5}$ and PM_{10}) goes much beyond the prescribed standards for Ambient Air Quality during certain months.

And whereas transport sector is the main source of air pollution in Delhi especially $PM_{2.5}$ emissions and vehicular emission also contribute upto 80 percent of nitrogen oxides and carbon monoxide in Delhi's air.

And whereas Delhi is a hub for personal motorized vehicles in India with a total of 1.33 crore vehicles registered in Delhi and the growth of vehicle numbers would be a significant challenge for sustainable environmental management of the potential air pollution emanating from the vehicles.

And whereas aggregators such as ride-hailing services as well as delivery service providers (e.g., food delivery, e-commerce logistics providers, couriers) have altered vehicular patterns in Delhi gaining momentum and expansion in their businesses. And whereas there is no formal estimate of the volume of vehicles in the aggregator and delivery fleet plying in Delhi, but reports reflect a substantial number of vehicles on road and consequent potential to contributing to air pollution.

And whereas air pollution affects severely the health of citizens and research has shown that vulnerable population especially children are more susceptible to diseases occurring due to severe air pollution including respiratory problems and cutaneous diseases.

And whereas the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas had also vide its Advisory dated 03.02.2021 advised that a mandate for zero emission vehicles for NCR be finalized and implemented by the state Government of Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan and NCT of Delhi in time bound manner for sizeable shift towards zero emission vehicles and e-mobility as part of the state Government's policy for promoting e-mobility. The Commission further advised that such plan of action by GNCTD may contain amongst others, inter alia, the following priority areas:

(i) The prioritization may include early electrification of public transport, para transit, feeder service, large delivery fleet and vehicles owned by Government being high milage vehicles.

(ii) Mandate a certain percentage in respect of vehicles mentioned in (i) above.

(iii) Enhancement of this percentage in the medium term and long term plan.

(iv) Mandate a percentage for public vehicles including auto-rickshaw, buses, feeder services, government vehicles, delivery fleets etc. may be high compared to personal vehicles.

And whereas the directions of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas inter alia includes measures to be implemented with strict force with immediate effect in the area of industrial pollution, thermal power plants, vehicular pollution, dust control measures, use of DG sets and work from home to ease vehicular pollution.

And whereas, vehicular pollution would cause extensive air pollution and release harmful air pollutants particularly when air quality is very poor and it is felt that clean vehicles such as electric vehicles need to be encouraged to bring down the contribution of vehicular pollution to the quality of air.

And whereas, the electric driven vehicles aid to reduce harmful air pollution from exhaust emissions with zero tailpipe emissions making them greener, cleaner and better for the environment than petrol or diesel cars.

And whereas, Delhi Electric Vehicle Policy of Government of NCT of Delhi announced on August 7, 2020, with a vision to promote adoption of electric vehicles in the city and to make Delhi, the EV Capital of India, aims to achieve the overarching objective to improve Delhi's air quality and create an entire supply-chain ecosystem for this new segment of vehicles, and in order to significantly benefit Delhi's air quality, the policy intends to deploy 25 percentage of all new vehicles to be battery-operated vehicles by 2024.

And whereas, Delhi Electric Vehicle Policy, 2020 prescribes that ride hailing service providers shall be allowed to operate electric two-wheeler taxis, subject to operating within the guidelines to be issued by the Transport Department, GNCTD and expects that the incentives provided by the policy shall encourage delivery service providers (e.g., food delivery, e-commerce logistics providers, couriers) to switch to using electric two wheelers; and to ensure the switch happens in a time bound manner, the policy aimed that all delivery service providers shall be expected to convert 50 % of their fleet operating in Delhi to electric by 31st March, 2023 and 100 % by 31st March, 2025.

Now, therefore, in view of the above, in exercise of the powers conferred under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 read with notification No.SO667 (E) issued by Ministry of Home

Affairs, Government of India dated 10.09.1992, following direction is hereby issued in larger public interest:

To direct the Transport Department, Government of NCT of Delhi to ensure that all the aggregators* and delivery service providers (e.g., food delivery, e-commerce logistics providers, couriers) *adopt electric vehicles in terms of induction in the new onboarded fleet as per the following proportion, subject to further review:

Adoption of electric vehicles	*Within three months*	*Within 31st March, 2023*
Two wheelers	*10 %*	*50 %*
Four wheelers	*5 %*	*25 %*

All concerned shall implement the aforesaid directions in letter and spirit. Any violation of the above directions shall be punishable under Section 15 of the Environment (Protection) Act, 1986 which includes imprisonment upto five years and / or with fine which may extend to Rs. One Lakh or with both. Quarterly action taken reports are required to be submitted to Department of Environment, GNCTD on email ID: senv@nic.in in annexed format.

By Order and in the Name of the Lt. Governor Government
of National Capital Territory of Delhi,

SANJEEV KHIRWAR, Principal Secy. of Environment & Forest

Annexure

***Reporting Performa for quaterly report on implementation of Direction u/s of Environment (Protection) Act, mandating EV induction by all aggregators* and delivery service providers (e.g., food delivery, e-commerce logistics providers, couriers).**

Number of aggregator and delivery fleet vehicles		Number of electric vehicles adopted in aggregator and delivery fleet (by end of reporting period)	
2W	4W	2W	4W

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.02.08 22:27:43 +05'30'